व्यावसायिक साझेदारों के लिए एज़ाई वैश्विक आचार संहिता

हमारे कॉर्पोरेट दर्शन को साकार करने के लिए, एज़ाई ने एक व्यावसायिक आचरण चार्टर और आचार संहिता विकसित की है, ताकि हमारे कर्मचारियों को सभी प्रासंगिक कानूनों और नैतिक मानकों के अनुपालन में उनके व्यावसायिक व्यवहार में मार्गदर्शन दिया जा सके, तथा सतत आर्थिक विकास का समर्थन किया जा सके व सामाजिक मुद्दों का समाधान प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार, एज़ाई ने भी हमारे व्यापारिक साझेदारों से अपेक्षित व्यवहार के लिए मानकों का एक सेट स्थापित किया है।

व्यावसायिक साझेदारों के लिए एज़ाई वैश्विक आचार संहिता ("संहिता") सभी व्यावसायिक साझेदारों और उनके कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें ठेकेदार, एजेंट, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और दुनिया भर में उनकी ओर से कार्य करने वाली सभी अन्य स्थानीय और विदेशी संस्थाएं ("व्यावसायिक साझेदार") अंतर्भूत हैं।

एज़ाई ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ("यूएनजीसी") पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मानव अधिकारों, श्रम और पर्यावरण का समर्थन करने वाले सिद्धांतों को रेखांकित करता है, तथा आधुनिक दासता और भ्रष्टाचार का विरोध करता है। एज़ाई फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन इनिशिएटिव ("पीएससीआई") का भी सदस्य है, जो वैश्विक फार्मास्युटिकल कंपनियों से बना एक गैर-लाभकारी संगठन है, और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए इसके सिद्धांतों (पीएससीआई सिद्धांत) का समर्थन करता है। यह संहिता पीएससीआई सिद्धांतों पर आधारित है जो उन मानकों को निर्धारित करती है जिनका पालन हम अपने व्यावसायिक साझेदारों से कानूनी अनुपालन, नैतिकता, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण और संबंधित प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में करने की अपेक्षा करते हैं।

एज़ाई अपने व्यावसायिक साझेदारों से अपेक्षा करता है कि वे इस संहिता में निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त, एज़ाई अपने व्यावसायिक साझेदारों से अपेक्षा करता है कि वे इस संहिता में वर्णित मामलों से संबंधित किसी भी मुद्दे का मूल्यांकन, अंकेक्षण और समाधान करने में सहयोग करें। हम आशा करते हैं कि निरंतर सुधार के माध्यम से यह संहिता अधिक व्यावहारिक हो जाएगी, तथा हमारे व्यावसायिक साझेदारों के पारस्परिक कॉर्पोरेट मूल्य में वृद्धि होगी।

1. कानूनी अनुपालन

व्यावसायिक साझेदार सभी लागू कानूनों, विनियमों और मानकों को पहचानेंगे और उनका अनुपालन करेंगे।

2. प्रबंधन प्रणालियां

व्यावसायिक साझेदार व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने, निरंतर सुधार को सुविधाजनक बनाने और कानूनी अनुपालन, नैतिकता, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तथा पर्यावरण के संबंध में इस संहिता की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करेंगे ।

2.1. संस्कृति, प्रतिबद्धता और जवाबदेही

व्यावसायिक साझेदार उचित संसाधनों का आवंटन करके और वरिष्ठ जिम्मेदार कर्मियों की पहचान करके इस संहिता में वर्णित अवधारणाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे, जिससे जिम्मेदार प्रथाओं और शासन की संस्कृति का निर्माण होगा।

2.2. जोखिम प्रबंधन

व्यावसायिक साझेदारों के पास संहिता में उल्लेखित सभी क्षेत्रों में जोखिमों को निरंतर निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए तंत्र होंगे।

2.3. संधारणीय सोर्सिंग और ट्रेसेबिलिटी

व्यावसायिक साझेदारों को कानूनी और संधारणीय सोर्सिंग को बढ़ावा देने हेतु अपनी आपूर्ति श्रृंखला का नियमित रूप से यथोचित आकलन करने के लिए प्रणालियां स्थापित करनी होंगी।

2.4. प्रशिक्षण और योग्यता

व्यावसायिक साझेदार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन और कर्मचारी इस संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिए ज्ञान, कौशल और क्षमता का उचित स्तर प्राप्त कर सकें।

2.5. दस्तावेज़ीकरण

व्यावसायिक साझेदारों को इस संहिता के अनुरूपता और लागू विनियमों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बनाए रखने होंगे।

2.6. निरंतर सुधार
व्यावसायिक साझेदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदर्शन उद्देश्य निर्धारित करके, कार्यान्वयन योजनाओं को क्रियान्वित करके, तथा आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन, निरीक्षण और प्रबंधन समीक्षा द्वारा पहचानी गई कमियों के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करके निरंतर सुधार करें।

2.7. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया
व्यावसायिक साझेदारों के पास प्रभावी आपातकालीन योजनाएं और प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं होंगी।

2.8. चिंताओं की पहचान (शिकायत तंत्र)
व्यावसायिक साझेदार शिकायत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आंतरिक और बाह्य हितधारक कार्यस्थल पर चिंताओं, अवैध गतिविधियों या संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट किसी वास्तविक प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न अथवा उनकी आशंका के बिना कर सकें।

2.9. प्रतिक्रिया और सुधारात्मक उपाय
व्यावसायिक साझेदार संहिता से संबंधित घटनाओं या चिंताओं की उचित जांच करेंगे और उन पर प्रतिक्रिया देंगे, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, तथा जहां आवश्यक हो, वहां सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे।

2.10. प्रभावी संवाद
व्यावसायिक साझेदारों के पास अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं सहित प्रासंगिक हितधारकों को संहिता के बारे में जानकारी देने के लिए प्रभावी प्रणालियां होंगी।

3. नैतिकता
व्यावसायिक साझेदार अपना व्यवसाय नैतिक रूप से संचालित करेंगे और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे।

3.1. रोगियों की सुरक्षा और जानकारी तक पहुंच
व्यावसायिक साझेदारों के पास पर्याप्त प्रबंधन प्रक्रियाएं होंगी, जिससे रोगियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति उनके अधिकार और सीधे उनकी जानकारी तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है।

3.2. रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी
सभी प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गबन, जिसमें सुविधा भुगतान भी शामिल है, निषिद्ध हैं। व्यावसायिक साझेदारों को रिश्वत नहीं देनी चाहिए, न ही स्वीकार करनी चाहिए, व्यापारिक या सरकारी संबंधों में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट प्रलोभन में भाग नहीं लेना चाहिए, या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक साझेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिश्वतखोरी को रोकने और लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उनके पास पर्याप्त नीतियां और प्रणालियां मौजूद हों।

3.3. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा
व्यावसायिक साझेदार अपना व्यवसाय निष्पक्ष एवं सशक्त प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तथा सभी लागू प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानूनों के अनुपालन में संचालित करेंगे। व्यावसायिक साझेदारों को सटीक और सत्य विज्ञापनों सहित निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाना होगा।

3.4. पशु कल्याण
यदि व्यावसायिक साझेदार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में पशुओं का उपयोग करते हैं, तो ऐसे पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा तथा उनके दर्द और तनाव को न्यूनतम रखा जाएगा। पशुओं को प्रतिस्थापित करने, प्रयुक्त पशुओं की संख्या कम करने, या उनके कष्ट कम करने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के बाद ही पशु परीक्षण किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से मान्य होने पर तथा नियामकों को स्वीकार्य होने पर वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

3.5. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
व्यावसायिक साझेदार लागू गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानूनों का अनुपालन करेंगे और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, संरक्षण और वैध उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

3.6. हितों के टकराव से बचाव और प्रबंधन
व्यावसायिक साझेदारों को हितों के टकराव की पहचान करने, उनसे बचने और उनका प्रबंधन करने के लिए उचित सावधानी बरतनी होगी। व्यावसायिक साझेदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे एज़ाई और अन्य प्रभावित पक्षों को किसी भी महत्वपूर्ण या संभावित हितों के टकराव के बारे में सूचित करें।

3.7. उत्पाद संरक्षण और गुणवत्ता
व्यावसायिक साझेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पादों, भागों और घटकों को अनधिकृत पुनर्विक्रय के उद्देश्य से मिलावट, जालसाजी या चोरी के जोखिम से बचाने के लिए प्रबंधन और सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हों।

4. मानव अधिकार
व्यावसायिक साझेदार आंतरिक और बाह्य हितधारकों के मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे तथा उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार सुनिश्चित करेंगे।

4.1. स्वतंत्र रूप से चुना गया रोजगार
व्यावसायिक साझेदार बलपूर्वक, बंधुआ या अनुबंधित श्रम, अनैच्छिक जेल श्रम का उपयोग नहीं करेंगे, या मानव तस्करी या आधुनिक दासता के किसी भी रूप में भाग नहीं लेंगे। किसी भी श्रमिक को नौकरी पाने के लिए भुगतान नहीं करना होगा या उसे आवागमन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

4.2. बाल श्रम और युवा श्रमिक
व्यावसायिक साझेदार बाल श्रम का उपयोग नहीं करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के युवा श्रमिकों को केवल गैर-खतरनाक कार्यों में ही रोजगार दिया जाएगा तथा केवल तभी जब युवा श्रमिक की आयु रोजगार के लिए संबंधित देश की कानूनी आयु या अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित आयु से अधिक हों।

4.3. गैर-भेदभाव
व्यावसायिक साझेदार समानता के लिए प्रयास करेंगे, तथा जाति, रंग, आयु, गर्भावस्था, लिंग, यौन अभिविन्यास, जातीयता, विकलांगता, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, कामगार संघ की सदस्यता या वैवाहिक स्थिति जैसे कारणों द्वारा भेदभाव से मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करेंगे।

4.4. निष्पक्ष व्यवहार
व्यावसायिक साझेदारों को उत्पीड़न, कठोर और अमानवीय व्यवहार से मुक्त कार्य वातावरण उपलब्ध कराना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक दबाव या श्रमिकों के प्रति मौखिक दुर्व्यवहार शामिल हैं, तथा ऐसे किसी भी व्यवहार की धमकी नहीं दी जाएगी।

4.5. वेतन, लाभ और कार्य-समय
व्यावसायिक साझेदारों को श्रमिकों को लागू मजदूरी कानूनों के अनुसार भुगतान करना होगा, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम कार्य-समय और अनिवार्य लाभ शामिल हैं। व्यावसायिक साझेदारों को अपने कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक के आधार के बारे में समय पर सूचित करना होगा। व्यावसायिक साझेदारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों से इस बारे में बात करें कि क्या ओवरटाइम की आवश्यकता है और ऐसे ओवरटाइम के लिए उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा। ओवरटाइम लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

4.6. श्रमिक संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार
कार्यस्थल और मुआवजे संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए श्रमिकों के साथ खुले संवाद और प्रत्यक्ष सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यावसायिक साझेदारों को स्थानीय कानूनों के अनुसार श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि स्वतंत्र रूप से जुटना, श्रमिक संघों में शामिल होना या न होना, श्रमिक परिषदों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करना तथा उनमें शामिल होना, साथ ही सामूहिक रूप से सौदेबाजी करना। जहां श्रमिक संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता का अधिकार कानून द्वारा प्रतिबंधित है, वहां नियोक्ता (अर्थात, व्यावसायिक साझेदार) स्वतंत्र और मुक्त श्रमिक संघ बनाने और सौदेबाजी के लिए समानांतर साधनों के विकास में सहायता करेंगे, तथा इसमें बाधा नहीं डालेंगे। श्रमिक प्रतिशोध के भय के बिना कार्य स्थितियों के संबंध में प्रबंधन के साथ खुलकर बातचीत कर सकेंगे।

4.7. स्थानीय समुदाय
व्यावसायिक साझेदार अपने कार्यस्थलों के आसपास के स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करेंगे, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

5. स्वास्थ्य और सुरक्षा

व्यावसायिक साझेदार सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे तथा श्रमिकों के कल्याण का समर्थन करेंगे। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय व्यावसायिक साझेदारों के कार्यस्थलों पर ठेकेदारों और उपठेकेदारों तक विस्तारित होंगे।

5.1. कार्य वातावरण की सुरक्षा

व्यावसायिक साझेदारों को कार्य वातावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जोखिम आकलन और आपातकालीन योजनाएं बनानी होंगी। खतरनाक सामग्रियों से संबंधित सुरक्षा जानकारी - जिसमें फार्मास्युटिकल यौगिक और फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती सामग्रियां शामिल हैं - उपलब्ध होगी और इसका उपयोग श्रमिकों को खतरों से शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए किया जाएगा। व्यावसायिक साझेदारों को अच्छी हाउसकीपिंग पद्धति और सुरक्षा की संस्कृति अपनानी होगी।

5.2. श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण

व्यावसायिक साझेदारों को श्रमिकों को रासायनिक, जैविक और भौतिक खतरों के अत्यधिक जोखिम से बचाना होगा। श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

5.3. प्रक्रिया सुरक्षा

व्यावसायिक साझेदारों के पास रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न जोखिमों की पहचान करने तथा पर्यावरण में रासायनिक या जैविक कारकों के विनाशकारी उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

6. पर्यावरण

व्यावसायिक साझेदार पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और कुशल तरीके से कार्य करेंगे, तथा अपने स्वयं के व्यावसायिक साझेदारों को भी ऐसा करने में सहायता करेंगे। व्यावसायिक साझेदारों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने, जैव विविधता और स्वच्छ जल को संरक्षित करने तथा खतरनाक सामग्रियों के उपयोग को न्यूनतम करने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6.1. पर्यावरणीय अनुमतियां और रिपोर्टिंग

व्यावसायिक साझेदारों को सभी लागू पर्यावरणीय विनियमों का पालन करना होगा। सभी आवश्यक पर्यावरणीय परमिट, लाइसेंस, जानकारी पंजीकरण और प्रतिबंध प्राप्त किए जाने चाहिए, तथा उनकी परिचालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए।

6.2. अपशिष्ट और उत्सर्जन का प्रबंधन

व्यावसायिक साझेदारों के पास अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन और अपशिष्ट जल निर्वहन के सुरक्षित संचालन, संचलन, भंडारण, निपटान, पुनर्चक्रण, पुन:उपयोग या प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं या प्रणालियां होनी चाहिए। किसी भी अपशिष्ट, अपशिष्ट जल या उत्सर्जन को, जो मानव या पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो, पर्यावरण में छोड़े जाने से पहले उचित रूप से प्रबंधित, नियंत्रित और उपचारित किया जाना चाहिए। इसमें पर्यावरण में सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स के उत्सर्जन का प्रबंधन भी शामिल है।

6.3. जलवायु परिवर्तन

व्यावसायिक साझेदार अपने जीएचजी उत्सर्जन की निगरानी करेंगे और उसे कम करेंगे तथा ऐसा करने के लिए अपने व्यावसायिक साझेदारों को सहयोग देंगे।

6.4. संसाधन दक्षता

व्यावसायिक साझेदार चक्रीयता के लिए प्रयास करेंगे, अपशिष्ट को डिजाइन करेंगे, कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उपाय करेंगे और जल सहित संसाधनों की खपत को कम करेंगे, तथा नवीकरणीय और संधारणीय स्रोतों को प्राथमिकता देंगे। वे पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए भी उपाय करेंगे,

6.5. जैव विविधता का संरक्षण

व्यावसायिक साझेदारों को जैव विविधता पर उनके प्रभाव को समझना होगा, तथा जहां तक संभव हो, अपने प्रभाव को कम करना होगा।

6.6. रिसाव और उत्सर्जन की रोकथाम

व्यावसायिक साझेदारों के पास पर्यावरण में आकस्मिक रिसाव और उत्सर्जन तथा स्थानीय समुदाय पर पड़ने वाले

प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए प्रणालियां होनी चाहिए।

(दस्तावेज समाप्त)